

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ,
पटना।

विषय :- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित विभिन्न ऑनलाईन सेवाओं के कार्य संचालन तथा प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु NICS, New Delhi से प्राप्त Proforma Invoice के विरुद्ध कुल राशि ₹3,82,90,195/- (तीन करोड़ बेरासी लाख नब्बे हजार एक सौ पनचानवे रुपये मात्र) अग्रिम निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-0017-राजस्व एवं भूमि सुधार पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-40-2052000900017 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-28-03 कन्सल्टेन्सी मद में ₹4,57,28,412/- (चार करोड़ सनतावन लाख अठाईस हजार चार सौ बारह रुपये मात्र) का बजट उपबंध है।
3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), नई दिल्ली के Invoice सं0-PPCB250580, दिनांक-15.10.2025 द्वारा विभिन्न ऑनलाईन सेवाओं के कार्य संचालन तथा प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने संबंधी कार्य हेतु कुल ₹7,65,80,392/- (सात करोड़ पैंसठ लाख अस्सी हजार तीन सौ बानवे) रुपये मात्र व्यय प्रतिवेदित की गयी है, जिसके विरुद्ध 50 प्रतिशत की राशि अर्थात् ₹3,82,90,195/- (तीन करोड़ बेरासी लाख नब्बे हजार एक सौ पनचानवे रुपये मात्र) का अग्रिम भुगतान किया जाना है। इस राशि में GST ₹58,40,877/- (अनठावन लाख चालीस हजार आठ सौ सतहत्तर रुपये मात्र) सम्मिलित है।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), नई दिल्ली से प्राप्त Proporma Invoice के विरुद्ध उपलब्ध राशि में से तत्काल कुल ₹3,82,90,195/- (तीन करोड़ बेरासी लाख नब्बे हजार एक सौ पनचानवे रुपये मात्र) की अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी जाती है।
5. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से की जाएगी। राशि को NICS (National Information Centre Service Inc.) के ICICI Bank खाता सं0-032201002813, IFSC-ICIC0000322 में अंतरित की जाएगी।
6. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-0017-राजस्व एवं भूमि सुधार पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-40-2052000900017 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-28-03 कन्सल्टेन्सी मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), नई दिल्ली द्वारा व्यय विवरणी एवं मूल अभिश्रव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। व्यय की गई राशि का D.C. विपत्र तैयार कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में समायोजन हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।
8. राशि की निकासी के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561वि०(2), दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर एतदसंबंधी निर्गत परिपत्रों/आदेशों/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जायेगा।
9. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।
10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांक-9A/ऑनलाईन सेवाएँ (मानव बल)-03-03/2024-151(9A)/रा०पटना-15, दिनांक-15/01/2026

ई-मेल
✓

प्रतिलिपि:- ✓ श्री नरेन्द्र कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, NICSI, नई दिल्ली, ई-मेल:- narendra.kumar@nic.in / मो० ✓ जावेद मंजर, Group Head-LRC Project, NIC. Patna ई-मेल:- jmanzar@nic.in / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना / विभागीय प्रशाखा-5 'बजट शाखा' (आवंटन निर्गत करने हेतु) / विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में) / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह),
सचिव 15/1/26